बिहार विधान परिषद के लिए तारांकित प्रश्न

श्री मंगल पाण्डेय, मा0 स0वि0प0 द्वारा विधान परिषद् के 178वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–आर0आर0–02 के उत्तर के संबंध में। **क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–**	**श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** **प्राधिकृत मंत्री,** **आपदा प्रबंधन विभाग,** **बिहार, पटना।**
तारांकित प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या यह बात सही है कि राज्य में अक्टूबर माह में आए हुद हुद तुफान से जान माल सहित करोड़ों खर्च का मकान एवं फसल का नुकसान हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सिर्फ दो जिलों –मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण से हुदहुद तूफान से गृह क्षति की सूचना प्रतिवेदित है ।
(ख) क्या यह बात सही है कि हुद हुद तुफान से मरने वाले, मृतकों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी जिले से हुद हुद तूफान से मृत्यु की सूचना प्रतिवेदित नहीं है। वैसे भी प्राकृतिक आपदाओं में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान दिया जाता है, मुआवजा नहीं ।
(ग) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार भुक्त भोगियों को मुआवजा देने के लिए कौन प्रावधान अपना रही है तथा अब तक कितने लोगों को कितनी राशि का भुगतान की गई है ;	मधुबनी जिला से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय आवंटनादेश सं0–67(स0अनु0) दिनांक –21.10.2014 द्वारा हुदहुद तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये गृह क्षति अनुदान के मद में मधुबनी जिला को 40 लाख रू0 आवंटित किया गया है। पुनः मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या –83(स0अनु0) दि0–22.12.2014 द्वारा मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण जिलों को गृह क्षति अनुदान में हुदहुद तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए क्रमशः 1,36,99,400/–रू0 (एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ) एवं 2,21,700/–रू0 (दो लाख इक्कीस हजार सात सौ) आवंटित किया गया है। मधुबनी के कतिपय गॉवों के हुदहुद तूफान से प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया था। राहत शिविरों में खाद्यान्न के मद में हुए व्यय के दृष्टिगत आवंटनादेश संख्या –72 दि0–22.12.2014 द्वारा मधुबनी जिला को 2,00,000/– रू0 (दो लाख) आवंटित किया गया है।
(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हुद हुद से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा का शीघ्र भुगतान करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

–कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04/वि0प0ता0प्र0–43/2014/................................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को उनके ज्ञापांक 6112(5) दिनांक–17.12.2014 के कम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/वि0प0ता0प्र0–43/2014/.......516......./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–6/2/15

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर/श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

\\Pc22-pc\d\2014\Sanjay sir 2014\vidhan sabha 19-12-14 se 26-12-2014\vidhan Sabha qu trankit qu. 19-12-2014.docx